UPHR010059412021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई (उत्तर प्रदेश)

उपस्थित:– रीता कौशिक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code– UP 5728

Sessions Case No.	1501/2021
C.N.R NO.	UPHR010059412021
Registered on	26.10.2021
Decided on	06.06.2026

स्टेट आफ यू०पी०----------अभियोजन पक्ष।

विरूद्ध

1– भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामचन्द्र निवासी ग्राम तुर्तीपुर थाना सुरसा जिला हरदोई।

2–सूरज पुत्र गोपी निवासी महोलिया शिवपार थाना कोतवाली देहात जिला हरदोई।

3–अखिलेश यादव पुत्र महेश यादव निवासी ग्राम तुर्तीपुर थाना सुरसा जिला हरदोई।

----------अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध सं०	290/2021
अंतर्गत धारा	धारा–307, 504 भा०दं०सं०
थाना व जिला	थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई
राज्य की ओर से	श्री चन्दन कुमार सिंह, एडवोकेट सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
अभियुक्त की ओर से	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, एडवोकेट

निर्णय

01– पुलिस थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–290/2021 अन्तर्गत धारा–307, 504 भा०दं०सं० में अलग–अलग प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, अखिलेश यादव व सूरज के विरूद्ध विचारण हेतु प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये जाने के उपरान्त सत्र परीक्षण संख्या–1501/2021 में अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, अखिलेश यादव व सूरज का अन्तर्गत धारा–307, 504 भा०दं०सं० में आरोपित कर विचारण किया गया।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.06.08 10:38:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2021 को वादिनी मुकदमा सीतू पत्नी नैपाल यादव निवासी हाल पता इदरीशगंज थाना को० शहर जिला हरदोई की ओर से एक लिखित सूचना थाना कोतवाली शहर जिला हरदोई में इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 21.03.2021 को समय करीब 9.30 पी०एम० बजे रात में उसके पति नैपाल सिंह यादव, जोकि मोटर मैकेनिक का काम लखनऊ चुंगी पर करते हैं। वापस घर आ ही रहे थे तभी उसके घर के पास ही भूपेन्द्र सिंह पुत्र रामन्दर सिंह निवासी तुर्तीपुर थाना सुरसा, अखिलेश यादव पुत्र महेश यादव निवासी तुर्तीपुर थाना सुरसा एवं सूरज पुत्र गोपी निवासी महोलिया शिवपार थाना कोतवाली देहात ने घात लगाकर उसके पति (उपरोक्त) के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उनके सीने पर बहुत गहरा घाव हुआ है। जिसके बाद तुरन्त उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। जहां पर उनका इलाज चल रहा है।

03– वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर जिला हरदोई में दिनांक 23.03.2021 को मुकदमा अपराध संख्या–290/2021 धारा–307 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, अखिलेश यादव व सूरज के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

04– विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा एवं अन्य गवाहान के बयान अंकित किए गए। घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 तैयार किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलित कर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, अखिलेश यादव व सूरज के विरूद्ध धारा–307, 504 भा०दं०सं० के अपराध में विचारण हेतु अलग–अलग आरोप पत्र क्रमशः प्रदर्श क–7 व 8 न्यायालय में प्रेषित किये गये।

05– आरोपपत्र प्राप्त होने पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। धारा–207 दं०प्र०सं० के प्राविधान का अनुपालन करने के उपरान्त प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

06– मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 13.05.2022 को अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, अखिलेश यादव व सूरज के विरूद्ध धारा–307, 504 भा०दं०सं० के आरोप में प्रथम दृष्टया विचारण हेतु मामला पाते हुए आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा जुर्म से इन्कार करके परीक्षण की माँग की गयी तब न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य हेतु तिथि नियत की गयी।

07– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–01 लगायत 04 को परीक्षित कराया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अभियोजन साक्षी संख्या	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**

पी०डब्लू०–01	सीतू उर्फ शीलू	वादिनी मुकदमा
पी०डब्लू०–02	नैपाल यादव	चोटहिल
पी०डब्लू०–03	हे०कां० श्याम अचल मौर्य	एफ०आई०आर० लेखक
पी०डब्लू०–04	डा० मनोज कुमार देशमणि	चिकित्सीय परीक्षण कर्ता

08– अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के संबंध में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं :–

अभियोजन की प्रदर्श सूची

क्रम संख्या	**प्रदर्श**	**दस्तावेज का विवरण**
1	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	प्रदर्श क–2	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श क–3	कायमी जी०डी०
4	प्रदर्श क–4	चिकित्सीय परीक्षा आख्या
5	प्रदर्श क–5	सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट
6	प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी
7	प्रदर्श क–7	आरोपपत्र
8	प्रदर्श क–8	आरोपपत्र

09– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6 एवं आरोपपत्र क्रमशः प्रदर्श क–7 व क–8 की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है।

10– अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताया, साक्षीगण के बयान के संबंध में कहा कि कुछ नहीं कहना, प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता के संबंध में कुछ नहीं कहा है, अपने विरूद्ध मुकदमा गांव की पार्टीबंदी के कारण पुलिस से मिलकर झूठा मुकदमा लिखाया जाना कहा तथा सफाई में साक्ष्य देने से इन्कार किया तथा कथन किया कि वे निर्दोष हैं।

11– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक पर बल देते हुए तर्क किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा सीतू के पति नैपाल सिंह यादव को गाली गलौज करते हुए उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसके सीने पर बहुत गहरा घाव हो गया। यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते। साक्षी पी०डब्लू०–01 वादिनी मुकदमा सीतू द्वारा अपने बयान में तहरीर प्रदर्श क–01 को साबित किया गया है। औपचारिक साक्षीगण द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी०डी० व चिकित्सीय परीक्षण आख्या तथा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को साबित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन के शेष प्रपत्रों नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 एवं आरोपपत्र क्रमशः प्रदर्श क–7 व क–8 की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन प्रपत्रों

की औपचारिक सत्यता भी स्वीकार की गयी है, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। यद्यपि अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–01 व पी०डब्लू०–02 ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन नहीं किया है, किन्तु उनके साक्ष्य के उस भाग पर विश्वास किया जा सकता है, जो अभियोजन के कथानक से समर्थित हो। पत्रावली पर दोषसिद्धि हेतु अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने की याचना की गयी है।

12– बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी पी०डब्लू०–01 घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और उसने अभियुक्तगण द्वारा उसके पति को चाकू से मारते नहीं देखा है और अपने बयान में कथन किया है कि उसके घर के पास उसके पति व मोहल्ले वालों की आवाज पर वह घर से बाहर निकली तो उसने देख कि उसके पति घायल अवस्था में पड़े थे। स्वयं चोटहिल साक्षी पी०डब्लू०–02 ने अपने बयान में कथन किया है कि उसके दरवाजे पर चार लड़के खड़े थे, जो मुंह पर अंगौछा बांधे थे। इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से उसके सीने पर चाकू मार दिया। मुल्जिम उसके पड़ोस के रहने वाली नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से साबित होता है कि वह अभियुक्तगण को पहचान नहीं पाया था। तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–01 एवं पी०डब्लू०–02 ने अपने बयान में अभियोजन कथानक बिल्कुल समर्थन नहीं किया है और वे पक्षद्रोही घोषित हो गए हैं। पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध किसी भी दृष्टिकोण से साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

13– मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

14– अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 21.03.2021 को समय करीब 21.30 बजे स्थान मो० इदरीशगंज थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई में अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा के पति नैपाल सिंह यादव को गाली गलौज करते हुए उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे उसके सीने पर बहुत गहरा घाव हो गया। अभियुक्तगण के इस कृत्य से यदि चोटहिल की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307, 504 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किया गया है, जिसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरेन्द्र बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2008 (एस०सी०) पेज 2469 एवं दिनेश बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2009 (67) एस०सी०सी० पेज 464** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप

युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करना होगा। अतः अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्षीगण न्यायालय में परीक्षित कराए गए हैं। उनका साक्ष्य इस स्तर का है कि उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषी ठहराया जा सकता है अथवा नहीं ?

15– **साक्षी पी0 डब्लू0–1 सीतू उर्फ शीलू** जोकि चोटहिल की पत्नी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि मैं मुल्जिम भूपेन्द्र सिंह, अखिलेश यादव व सूरज को घटना के पहले से जानती पहचानती नहीं हूं। दिनांक 21.03.2022 को साढ़े नौ बजे शाम को मेरे पति नैपाल सिंह याद, जो मोटर मैकेनिक का काम लखनऊ चुंगी पर करते थे, वापस घर आ रहे थे, को मेरे घर के पास मेरे पति व मोहल्ले वालों की आवाज पर मैं घर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे पति घायल अवस्था में पड़े थे। असपास काफी भीड़ इकट्ठा थी। हमने अपने पति को तुरन्त जिला अस्पताल हरदोई ले गयी। जहां पर गंभीर हालत होने के कारण मेरे पति को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। ट्रामा सेंटर लखनऊ में मेरे पति का इलाज हुआ था। मारने वाले लोगों को मैंने पहचाना नहीं था। मैंने को० शहर हरदोई में मोहल्ले वालों के कहने पर रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस को मैंने घटनास्थल दिखाया था। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिखा था। तहरीर लिखने वाले ने पढ़कर नहीं सुनाई थी। तहरीर शामिल पत्रावली कागज सं० 3अ/4 देखकर साक्षी ने अपने बने हस्ताक्षर की पुष्ट की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि घटना की तिथि 21.02.21, समय 9.30 बजे है। मैं अपने घर पर थी। मेरे पति पर चाकू से हमला हुआ था। अंधेरा था मैं देख नहीं पायी। जब तक मैं पहुंची वे भाग गए थे। घटना की रिपोर्ट अगले दिन सुबह मैंने लिखाई थी। तीनों मुल्जिमानों के नाम मुझे मेरे पति ने नहीं बताए। मैंने घटना को अपने आंखों से नहीं देखा। रहमान मेरा पड़ोसी है। रहमान के कहने पर मैंने मुल्जिमान के नाम लिखवाए थे। अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया जा सका है, जिससे कथित घटना अभियुक्तगण द्वारा किया जाना साबित होता हो। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके पति के ऊपर चाकू से प्रहार करके प्राण घातक उपहति कारित की गयी, पूरी तरह से नकार दिया गया है।

16– **साक्षी पी0 डब्लू0–2 नैपाल यादव,** जोकि चोटहिल है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और तथा कथन किया मैं लखनऊ चुंगी के पास मोटर मैकेनिक का काम करता हूं। घटना आज से ढाई साल पहले की है। तारीख 21 मार्च थी। समय रात 9.30 का था। मैं दुकान बंद करके अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा गया था। मेरे दरवाजे पर 4 लड़के खड़े थे, जो मुंह पर अंगौछा बांधे थे। मैंने इन लड़कों से कहा मरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो तो इन लड़कों ने

कहा कि तुम नेता हो। हमे खड़े रहने दो फिर उनमें से एक ने मेरे दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। एक लड़के ने जान से मारने की नीयत से मेरे सामने सीने पर चाकू का मार दिया। जब मैं चिल्लाया तो मेरी पत्नी दौड़कर आयी तो उनमें से एक मोटरसाइकिल से बाकी पैदल भाग गए थे। मैं बेहोश हो गया था। मेरा भाई दीपक यादव मौके पर आ गया था। वही मुझे जिला अस्पताल हरदोई ले गया था। वहां से मुझे ट्रामा सेंटर लखनऊ ले गया था। घटना की रिपोर्ट मेरी पत्नी ने लिखायी थी। हाजिर अदालत अभियुक्तगण मेरे पड़ोस के रहने वाले नहीं है। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिखा था। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराकर उससे प्रतिपरीक्षा अभियोजन की ओर से की गयी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कहा गया कि मेरी आसपास किसी से रंजिश नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि हाजिर अदालत मुल्जिमान भूपेन्द्र, अखिलेश व सूरज में गाली गलौज कहासुनी हुई थी। मेरी पत्नी ने अपनी रिपोर्ट में हाजिर अदालत मुल्जिमान के नाम लिखवाए हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे चाकू लगने के बाबत मैंने थाने पर रिपोर्ट लिखवाई है। साक्षी द्वारा कथन 161 दं०प्र०सं० के संबंध में कथन किया गया है कि मैंने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था। इस साक्षी से पीठासीन अधिकारी द्वारा भी प्रश्न किया गया तथा साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि जब मैं अपने घर पहुंचा था तब घर के अंदर कुंडी लगी थी। मेरे घर के दरवाजे पर रोशनी है। घर के समाने खम्भे पर लाईट लगी है। जिस समय मैं अपने घर पहुंचा तब लाईट जा चुकी थी। मैं पैदल आता जाता हूं। मेरे घर से दुकान की दूरी एक किमी० है। मेरे साथ बंटी भी आता रहता है। उस दिन मेरे साथ नहीं था। मैं अपनी पत्नी के साथ थाने रिपोर्ट लिखाने नहीं गया था। जिस समय घटना हुई, उस समय मेरी पत्नी अंदर कमरे में थी। थाने अगले दिन मेरी पत्नी गयी थी। मैं नहीं गया था। जब मुल्जिमान ने मेरे चाकू मारा तब मैं चिल्लाया । मेरे चीखने पर मोहल्ले के रहमान बचाने आए थे। रहमान ने ही मुझे पकड़ रखा था। मुल्जिमान चाकू मारकर भाग गए थे व रहमान ने मुल्जिमान के नाम मेरी पत्नी को बताए, वे सही होंगे। पहले पत्नी आयी थी। बाद में रहमान आए थे। जब रहमान ने मुझे पकड़ा तब मेरी पत्नी मेरे पास ही खड़ी थी। मेरी पत्नी व रहमान ने मुल्जिमानों को नहीं देखा, क्योंकि वे भाग चुके थे। अभियुक्तगण मोटरसाइकिल से आए थे। मोटरसाइकिल पर जो बैठा था, वह मुझे दिखाई दे रहा था। हाजिर अदालत मुल्जिमान में से कोई नहीं था। इस गवाह के बयान से भी स्पष्ट है कि इस गवाह के द्वारा भी अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किए जाने के अभियोजन कथानक को पूरी तरह से नकार दिया गया है तथा इस गवाह के कथन से भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि अभियुक्तगण की घटना में शामिल होना दर्शित होता हों।

17– **साक्षी पी0 डब्लू0–3 हे० कां० श्याम अचल मौर्य** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं 23.03.2021 को थाना कोत० शहर में कांस्टेबिल मोहर्रिर के पद पर तैनात था। इस साक्षी

द्वारा अपने बयान में वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 एवं कायमी जी०डी० को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है।

18– **साक्षी पी0 डब्लू0–4 डा० मनोज कुमार देशमणि** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मैं दिनांक 21.03.2021 को जिला चिकित्सालय हरदोई में ई०एम०ओ० के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने चोटहिल नैपाल यादव का चिकित्सीय परीक्षण किया था। उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी थीं –

चोट नं०–1 Stab Wound जिसका आकार 3 X 1 सेमी० जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। सीने पर बायीं तरफ मौजूद था। बायीं कलैविकल से 4 सेमी० नीचे था। जिसके किनारे धसे हुए थे और उस पर Y के आकार का, जिसे जेरे निगरानी रखा गया था। राय–मेरी राय में चोट की प्रकृति को जेरे निगरानी रखा गया। अवधि ताजा थी। चोट नुकीले धारदार हथियार से आना संभव है। एक्सरे की सलाह दी गयी थी। मेरे द्वारा उक्त मरीज की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दिनांक 02.06.2021 को तैयार की गयी थी। जो के०जी०एम०यू० लखनऊ में भर्ती हुई जांचों के आधार पर उपरोक्त चोट गंभीर प्रकृति की कही गयी। इस साक्षी ने अपने बयान में चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–4 एवं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है।

19– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6 एवं आरोपपत्र क्रमशः प्रदर्श क–7 व क–8 की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है।

20– इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य के दो साक्षीगण वादिनी मुकदमा पी०डब्लू०–01 व चोटहिल पी०डब्लू०–02 को न्यायालय के समक्ष परिक्षित कराया गया है। किन्तु किसी भी साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा दोनों साक्षीगण द्वारा द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, सूरज एवं अखिलेश यादव के द्वारा चोटहिल के साथ किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गयी। उसके ऊपर जिन व्यक्तियों ने चाकू से प्रहार किया, उनके मुंह पर गमछे बंधे थे तथा व उसके साथ घटना करने वालों को पहचान नहीं पाया था तथा साक्षीगण, जोकि वादिनी मुकदमा व चोटहिल है, ने अभियोजन कथानक को पूरी तरह से नकार दिया है।

21– जहां तक चोटहिल नैपाल सिंह यादव की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे चोटें आने तथा उक्त चोटें अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, सूरज एवं अखिलेश यादव द्वारा पहुंचाए जाने का अभियोजन का तर्क है। उक्त तर्क के संबंध में यह भी विचारणीय है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिए गए अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है एवं अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसमें ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी

मुकदमा के पति नैपाल सिंह यादव को चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–4 में दर्शित चोटें पहुंचायी गयी हों।

22– अभियोजन का यह भी तर्क है कि अभियोजन प्रपत्रों नक्शा नजरी व आरोपपत्रों की विद्वान अधिवक्ता द्वरा औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है। जहां तक दस्तावेजों के औपचारित निष्पादन को अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार किए जाने का प्रश्न है। **नर्मदा देवी बनाम वीरेन्द्र कुमार जायसवाल (2003) 8 एस०सी०सी० पेज 745 पर माननीय उच्च न्यायालय** द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीका कर लेने मात्र से अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है।

23– उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, सूरज एवं अखिलेश यादव के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 307, 504 भा०दं०सं० युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, सूरज एवं अखिलेश यादव आरोपित अरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

24– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले की वादिनी मुकदमा/अभियोजन साक्षी सं०–01 सीतू उर्फ शीलू द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है, लेकिन दौरान विचारण उसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है जिससे उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि वादिनी मुकदमा द्वारा मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 344 (धारा 383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**) के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

सत्र परीक्षण संख्या–1501/2021, मुकदमा अपराध संख्या–290/2021, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम भूपेन्द्र सिंह आदि में अभियुक्तगण भूपेन्द्र सिंह, सूरज एवं अखिलेश यादव को धारा–307, 504 भा०दं०सं० के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं तथा उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण धारा–481 बी० एन० एस० एस० के अन्तर्गत मुव० 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करना सुनिश्चित करें।

प्रकरण से संबंधित वस्तु प्रदर्श, यदि कोई हो तो उसे अपील के अवधि तक तथा अपील होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुरक्षित रखा जाये।

वादिनी मुकदमा/अभियजोन साक्षी सं०–01 सीतू उर्फ शीलू के विरूद्ध पृथक से प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन दर्ज हो तथा साक्षी/अभियोगी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी हो। प्रकीर्ण वाद की पत्रावली 06.07.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 06.06.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 06.06.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।